सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढ़ारकर अति० महाप्रबंधक (मा.सं.) छ०स्टे०पॉ०हो०कं०लिमि०,रायपुर
दूरभाष क्रं. —0771—2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 12/2016 दिनांक 29.08.2016

SHRI ASHWIN EKKA
57/3, RADHIKA NAGAR
SUPELA, BHILAI
DURG, C.G.
PIN-490023

अपीलार्थी

O/o CE (EITC)
Receipt No. 4011
Date 20 SEP 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE Web
Section ....

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो
छ०रा०वि०हो०कं०मर्या०,
डंगनिया— रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—
(दिनांक 14.09.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री अश्विन एक्का, भिलाई की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 12/2016 दिनांक 29.08.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) जन सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 01.08.2016 के माध्यम से जो जानकारी अपीलार्थी को दी गई है उसके संबंध में अपीलार्थी श्री अश्विन एक्का का तर्क निम्नानुसार है:—

अपीलार्थी के द्वारा आवेदन दिनांक 22.06.2016 के **कंडिका क्रमांक 2 में आदेश क्रमांक 01—05/पीडी—पांच/एफ—32/611—612 रायपुर दिनांक 14.06.2016 से संबंधित कार्यालयीन टीप व संचालक मंडल की संकल्प (Board's Resolution) की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया था। परंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा कार्यालयीन टीप कि प्रति उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अनुरोध है कि मेरे पत्र द्वारा चाही गई शेष कार्यालयीन टीप जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।"**

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01—02/अ.अ./53—54/दिनांक 08.09.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक 14.09.2016 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी —11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री अश्विन एक्का को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि 14.09.2016 को अपीलार्थी श्री अश्विन एक्का अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग से श्रीमती मल्लिका बेक, प्रबंधक (मा.सं.)—पांच, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर उपस्थित हुए, तद्पश्चात् उक्त प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 14.09.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, छ०रा०वि०हो०कं०मर्या०, रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक श्री अश्विन एक्का द्वारा निम्नांकित 03 बिंदुओ पर जानकारी चाही गई है :—

1. आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–पांच/एफ–32/611–612 रायपुर दिनांक 14.06.2016 के तहत् विद्युत कंपनी में लेखा अधिकारी/सहायक प्रबंधक (वित्त) के पद पर सीधी भर्ती नियुक्ति के लिये संशोधित योग्यता ICWAI (CMA) को विलोपित करने का कारण।
2. आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–पांच/एफ–32/611–612 रायपुर दिनांक 14.06.2016 से संबंधित कार्यालयीन टीप व संचालक मंडल की संकल्प (Board's Resolution) की सत्यापित प्रति।
3. आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–पांच/एफ–32/611–612 रायपुर दिनांक 14.06.2016 कि सत्यापित प्रति।

उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–पांच, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 2009 दिनांक 25.06.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग प्रबंधक (मा.सं.)–पांच, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर द्वारा अपने कार्यालयीन यू.ओ.नोट क्रमांक 348 दिनांक 05.07.2016 के माध्यम से 05 छायापृष्ठो में जानकारी उपलब्ध करायी गई। अतएव आवेदक श्री एक्का को निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत् सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नानुसार अभिलेख/दस्तावेज शुल्क रूपये 2/–प्रति पृष्ठ के दर से कुल 05 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 10/–मात्र का भुगतान करने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2168 दिनांक 12.07.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया। जिसके तारतम्य में आवेदक द्वारा अभिलेख/दस्तावेज शुल्क रूपये 10/–मात्र का भुगतान इस कार्यालय में उपस्थित होकर नगद के द्वारा किया गया। तत्पश्चात् आवेदक श्री अश्विन एक्का को जानकारी 05 छायापृष्ठों में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2405 दिनांक 01.08.2016 के द्वारा उपलब्ध करायी गई। जैसा कि आवेदक श्री अश्विन एक्का को संबंधित प्रभाग यथा प्रबंधक (मा.सं.)–पांच होल्डिंग कंपनी से प्राप्त जानकारी ही नियमानुसार उपलब्ध करायी गई है।

(5) उपरोक्त नियत सुनवाई तिथि 14.09.2016 को अपीलार्थी श्री अश्विन एक्का अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो तथा श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं) एवं संबंधित प्रभाग से श्रीमती मल्लिका बेक, प्रबंधक (मा.सं.)–पांच, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या., रायपुर उपस्थित हुए, तद्पश्चात् उक्त प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।

निर्धारित तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। साथ ही जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक 02 में उल्लेखित कार्यालयीन टीप की प्रति उपलब्ध नही कराई गई है।

अपीलार्थी द्वारा पैरा क्रमांक 04 में उल्लेखित 03 बिंदुओं की जानकारी चाही गई है। जिसके तारतम्य में प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु क्रमांक 02 व 03 की जानकारी अपीलार्थी को 03 छायापृष्ठों में उपलब्ध कराते हुए बिंदु क्रमांक 01 की जानकारी के संदर्भ में "भारत सरकार, नई दिल्ली, के ज्ञापन क्रमांक 1/7/2009 आई.आर. दिनांक 01.06.2009" में निहित तथ्यों के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध नही करायी गयी है, जो सही प्रतीत होती है। क्योकि अपीलार्थी द्वारा उक्त बिन्दु में प्रश्न का जवाब चाही गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन में लेख किया गया है कि उन्हें आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–पांच/एफ–32/611–612 रायपुर दिनांक 14.06.2016 से संबंधित कार्यालयीन टीप की प्रति उपलब्ध नही करायी गई है, जो सही प्रतीत होती है। अतएव जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक 02 की जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध नही करायी गई है। चूंकि उक्त जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने योग्य है।

जैसा कि अपीलार्थी श्री एक्का द्वारा उपलब्ध करायी गई बिन्दु क्रमांक 01, 02, एंव 03 जानकारी में से केवल बिन्दु क्रमांक 02 की शेष जानकारी यथा आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–पांच/एफ–32/611–612 रायपुर दिनांक 14.06.2016 से संबंधित कार्यालयीन टीप की प्रति उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया है, जो अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने योग्य है। अतएव अपीलार्थी द्वारा शेष वांछित जानकारी स्पष्ट किये जाने के फलस्वरूप उन्हे उक्त प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु आमंत्रित किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता हैं।

जहाँ तक प्रथम अपील का प्रश्न है उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि आदेश क्रमांक 01–05/पीडी–पांच/एफ–32/611–612 रायपुर दिनांक 14.06.2016 से संबंधित **कार्यालयीन टीप** की प्रति संबंधित प्रभाग यथा प्रबंधक (मा.सं.)–पांच, से एकत्रित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के सूचनाधीन अपीलार्थी को 07 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 12/2016 दिनांक 29.08.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –12/2016/58
रायपुर, दिनांक 14/09/2016

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा0सं0)–पांच, छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. Shri Ashwin Ekka, 57/3, Radhika Nagar, Supela, Bhilai, Durg, C.G., Pin-490023 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040